छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्र. 06/2007

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री संदीप लड्ढा,
आत्मज श्री ठाकुरदास लड्ढा,
आई–401, अशोका हाईट्स, विधान सभा रोड,
मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 24 जनवरी 2008)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संदीप लड्ढा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांक 20–11–2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग से 17 बिन्दुओं पर जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 13–12–2007 को अपीलार्थी को जानकारी प्रदान की। अपीलार्थी के द्वारा प्रदत्त जानकारी को अपूर्ण एवं तथ्यात्मक जानकारी न होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी का यह मत है कि उसे अपूर्ण, भ्रामक तथा आधी–अधूरी जानकारी प्रदान की गई है।

2/ मेरे द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुये किन्तु उनके द्वारा अपने अपील पत्र में ही यह सूचित किया गया कि प्रकरण में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णय दिया जावे। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी को सुना गया। प्रकरण में अपीलार्थी ने अपील दिनांक 17–12–2007 को प्रस्तुत की थी। अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश देना है तथा विशेष परिस्थिति में 45 दिन के अन्दर आदेश दिया जाना है। चूँकि प्रकरण में नोटिस विलम्ब से जारी किये गये थे तथा न्यायहित में पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देना आवश्यक था, अतः पुनः नोटिस जारी कर न्यायहित में 15 दिन की अवधि की वृद्धि की गई। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में उल्लेख किया कि उसके द्वारा जिन 17 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, उनकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी गई है। अपीलार्थी ने अभी तक आयोग में पारित आदेशों की प्रति आयोग में लंबित प्रकरणों के लंबित होने के कारण यदि छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो

अग्रिम क्या कार्यवाही की जा सकती है आदि की जानकारी माँगी। प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी बिन्दुओं पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है। यह अवश्य है कि कुछ बिन्दु विधि तथा विधिक के अंतर्गत अभिमत से संबंधित है जन सूचना अधिकारी को स्वयं अपने अभिमत दिये जाने का अधिकार नहीं है। जन सूचना अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख की ही जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत दे सकता है। अपीलार्थी ने आयोग के द्वारा पारित लैण्ड मार्क आदेशों की प्रतिलिपि चाही थी। आयोग में पृथक से इस प्रकार के आदेशों की कोई सू.चीं नहीं रखी जाती। अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से यह सूचित करना आवश्यक है कि उसे कोन सी प्रति चाहिये। आयोग के द्वारा किसी अपीलार्थी अथवा आवेदक को विधिक परामर्श दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी ने ऐसे प्रकरणों की भी जानकारी चाही थी, जिनमें कि आयोग के आदेशों का पालन नहीं हुआ, उस संबंध में आयोग ने क्या कार्यवाही प्रारंभ की है यह चाहा था। इस संबंध में भी अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से प्रावधानों से अवगत कराया गया। आयोग के निर्णय के लिए कोई समयावधि अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। अतरु इसे भी आवेदक को सूचित किया गया। लंबित प्रकरणों के लिए अपीलार्थी ने कोई समयावधि स्पष्ट नहीं की थी कि किस वर्ष के लंबित प्रकरणों की जानकारी चाहिये थी। आयोग में सभी प्रकरणों को जन सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें यह जानकारी दी। अपीलार्थी ने बिन्दु क्रमांक–16 में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाये गये नियमों की कापी चाही थी। जन सूचना अधिकारी ने यह सूचित किया है कि नियम बनाने का अधिकार शासन को है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी ली जा सकती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के जो नियम आयोग में उपलब्ध है, उसकी प्रति अभिलेख शुल्क जमा कराया जाकर अपीलार्थी को दी जा सकती थी। क्योंकि उक्त नियमों की प्रति आयोग में भी उपलध है। शेष बिन्दुओं पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जानकारी अपूर्ण एवं भ्रामक दी गई।

3/ समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाये गये नियम की प्रमाणित प्रति निःशुल्क प्रदान करें। जन सूचना अधिकारी के द्वारा शेष बिन्दुओं की जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

4/ यदि पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अंतर्गत द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(एस. पी. त्रिवेदी)
सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी